प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फ़ोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 अप्रैल 2026

आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और आय निर्धारण संबंधी निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए 7 अक्टूबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और आय निर्धारण) निदेश, 2025 जारी किए थे।

2. निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप, यथोचित संशोधनों को उक्त निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

3. तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज अंतिम निदेश जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 13 संशोधन निदेश और एक निरसन निदेश भी जारी किए गए हैं, जोकि निम्नानुसार हैं:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) संशोधन निदेश, 2026
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
iii. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) संशोधन निदेश, 2026.
iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण संबंधी जोखिम का प्रबंधन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
v. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड: निर्गम और परिचालन) संशोधन निदेश, 2026
vi. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आस्ति देयता प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026
vii. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट सुविधाएँ) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
viii. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनियाँ) संशोधन निदेश, 2026
ix. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) सातवाँ संशोधन निदेश, 2026
x. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) संशोधन निदेश, 2026
xi. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम का हस्तांतरण और संवितरण) संशोधन निदेश, 2026

xii. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार) संशोधन निदेश, 2026

xiii. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

xiv. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निरसन निदेश, 2026

4. ये निदेश 01 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे।

5. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और आय निर्धारण संबंधी निदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/150